न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री कार्तिकेय मीणा, **R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 290/2021 दायर दिनाँक 08.10.2021

वादीगण		प्रतिवादी
1. अयूब पुत्र अ0 रहमान उम्र 60 वर्ष 2. इस्लामुदीन पुत्र अ0 गफार उम्र 30 वर्ष समस्त जाति देशवाली निवासीगण दादुबासनी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. श्रीमान तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्तीव घोषणा खातेदारी एव् स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री लाल सिंह गोदारा वकील वादीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **19.09.2022**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा अमरपुरा, पटवार क्षैत्र दादुबासनी में राजस्व भूमि पुराने खसरा नम्बर 160 रकबा 45 बीघा 18 बिस्वा अवस्थित रही है। जिसके नये खसरा नम्बर 300 बने तथा खसरा नम्बर 160 के नये खसरा नम्बर 300 रकबा 45 बीघा 18 बिस्वा के वर्तमान में नये खसरा नम्बर 366 रकबा 7.0300 हैक्टे0 है। उपरोक्त खसरा नम्बर 160 की 1 बीघा 6 बिसवा जमीन गै0 मु0 सड़क में चली गयी तथा शेष बची भूमि नये बने खसरा नम्बर 300 में अंकित हो गयी तथा पुराने खसरा सं0 253 रकबा 1 बीघा जिसके नये खसरा सं0 349 रकबा 0.1600 हैक्टे0 बने। जो तथ्य सम्वत् 2061 से 2064 तथा सम्वत् 2076 से 2079 तक की जमाबन्दी में स्पष्ट है।

यह है कि राजस्व काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के पूर्व से ही उपरोक्त खसरा की भूमियों पर वास्तविक एवं भौतिक कब्जा काश्त वादी के दादा कासम की रही है। उनके स्वर्गवास के पश्चात अब उक्त सम्पूर्ण भूमि पर वास्तविक एवं भौतिक कब्जा काश्त वादीगण का ही है।

यह है कि राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही व भूल से कालान्तर में गलत रूप से सम्वत् 2025 को महकमा कस्टोडियम के नाम से खातेदारी दर्ज हो गयी। जिसका उस वक्त मौका का किसी प्रकार का निरीक्षण नही करके केवल मात्र कागजी कार्यवाही करके ही उक्त भूमि को भारत सरकार महकमा कस्टोडियम दर्ज कर दिया गया है, जबकि सम्पूर्ण भूमि पर वादीगण का ही कब्जा काश्त रही है, वादीगण के अलावा अन्य किसी का कोई कब्जा काश्त ही नही था। उक्त भूमि पर कस्टोडियम विभाग का या अन्य किसी का कोई अधिकार एवं कब्जा काश्त नही है तथा वादीगण व उसके परिवारजन कभी भी भारत छोड़कर पाकिस्तान नही गये, पुराने रेकर्ड में महकमा कस्टोडियन गलत रूप से दर्ज हुआ था, जो राजस्व कर्मचा[illegible] हो गया, जिसे वादीगण शुद्धिकरण करवाकर पु[illegible] समय से वादीगण के कब्जा काश्त की चली[illegible] आये नाम से घोषित करवाने के अधिकारी है। लेकिन वर्तमान [illegible] राजस्व रेकार्ड में महकमा कस्टोडियन दर्ज होने के कारण समय–समय पर काश्त के समय पटवारी हल्का व अन्य राजस्व कर्मचारियों द्वारा [illegible]ानियां धमकियां देते है तथा वादीगण को उसकी पैत्रिक कृषि भूमि से बेदखल करने की

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:37:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

धमकियां देते है तथा उसके अधिकारों व हितों को चुनौती देने लगे हुये है तथा येन–केन प्रकारेण वादीगण की पैत्रिक कृषि भूमि से मरहुम रखना चाहते है। जिस हेतु यह वाद बाबत घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा का श्रीमान के समक्ष पेश है।

यह है कि वाकै सरहद अमरपुरा के पुराना खसरा नम्बर 160 जिसके नये खसरा सं0 300 रकबा 45 बीघा 18 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा सं0 366 रकबा 7.0300 हैक्टे0 में अपने हिस्से रकबा 1.497154 हैक्टे0 तथा खसरा सं0 349 रकबा 0.1600 हैक्टे0 भाग जो वादी की कदीमी समय से पैत्रिक कब्जा काश्त की कृषि भूमि रही है, उक्त खसरा नम्बर 366 रकबा 7.0300 हैक्टे0 में अपने हिस्से रकबा 1.497154 हैक्टे0 तथा खसरा 349 रकबा 0.1600 हैक्टे0 की भूमि की राजस्व रेकर्ड में खातेदारी वादीगण के पक्ष में डिक्री जारी करने की कृपा करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। बावजुद तामिल के अनुपस्थित। अतः इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वादी अयूब का अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी. का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुआ।

बहस सुनी गयी, रेकर्ड अवलोकन किया गया। वादीगण का वाद रेकर्ड दुरूस्ती एवं घोषणा खातेदारी से संबन्धित है वादीगण ने वाद में बताया है कि उक्त खसरा नम्बरान वादीगण की पैत्रिक व कदीमी कब्जा काश्त की भूमि है, उपरोक्तानुसार वादीगण का स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

विद्वान वादीगण की सारगर्भित बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः बाद विवेचन, वाद वादीगण डिक्री किया जाता है।

–:आदेश :–

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद अमरपुरा के पुराना खसरा नम्बर 160 जिसके नये खसरा सं0 300 रकबा 45 बीघा 18 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा सं0 366 रकबा 7.0300 हैक्टे0 में अपने हिस्से रकबा 1.497154 हैक्टे0 तथा खसरा सं0 349 रकबा 0.1600 हैक्टे0 भाग जो वादी की कदीमी समय से पैत्रिक कब्जा काश्त की कृषि भूमि रही है, उक्त खसरा नम्बर 366 रकबा 7.0300 हैक्टे0 में अपने हिस्से रकबा 1.497154 हैक्टे0 तथा खसरा 349 रकबा 0.1600 हैक्टे0 की भूमि में वादीगण को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक 19.09.2022 को खुली इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:37:12 IST
Reason: SelfAttested

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **290/2021** दायर दिनाँक **08.10.2021**

वादीगण		प्रतिवादी
1. अयूब पुत्र अ0 रहमान उम्र 60 वर्ष 2. इस्लामुदीन पुत्र अ0 गफार उम्र 30 वर्ष समस्त जाति देशवाली निवासीगण दादुबासनी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	**बनाम्**	1. श्रीमान तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्तीव घोषणा खातेदारी एव् स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक **19.09.2022**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री लाल सिंह गोदारा वकील वादीगण की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद अमरपुरा के पुराना खसरा नम्बर 160 जिसके नये खसरा सं0 300 रकबा 45 बीघा 18 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा सं0 366 रकबा 7.0300 हैक्टे0 में अपने हिस्से रकबा 1. 497154 हैक्टे0 तथा खसरा सं0 349 रकबा 0.1600 हैक्टे0 भाग जो वादी की कदीमी समय से पैत्रिक कब्जा काश्त की कृषि भूमि रही है, उक्त खसरा नम्बर 366 रकबा 7.0300 हैक्टे0 में अपने हिस्से रकबा 1.497154 हैक्टे0 तथा खसरा 349 रकबा 0.1600 हैक्टे0 की भूमि में वादीगण को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–................ बाबत......................–....................
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **19.09.2022** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:37:12 IST
Reason: SelfAttested

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर के फरीक डिग्री के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करनी चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner